11.09.2019

परिवादी अरूण कुमार, महामंत्री, बिहार कृषि स्नातक सेवा संघ, बिहार, पटना उपस्थित हैं।

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना की ओर से निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव, श्री प्रभु राम अपने अधीनस्थ प्रशाखा पदाधिकारी के साथ उपस्थित हैं।

उभय पक्ष को सुना।

प्रस्तुत मामला बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–1(शष्य) प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/ कृषि निरीक्षक एवं समकक्ष पदाधिकारियों/कर्मियों के लंबित कालबद्ध प्रोन्नति, ए0सी0पी/एम0ए0सी0पी0 से संबंधित है।

उभय पक्ष की ओर से आयोग को सूचित किया गया कि सेवानिवृत सहित कुल–711कर्मियों के ए0सी0पी0 एवं एम0ए0सी0पी0/ कालबद्ध प्रोन्नति के विषय पर निदेशालय द्वारा विचार किया जाना है। उपस्थित अपर सचिव द्वारा बताया गया कि उनमें से कुल–205 पदाधिकारी/कर्मियों के विषय में अंतिम निर्णय लिया जा चुका है तथा उनमें से कुछ मामलों में अन्तीम निर्णय के आलोक में निदेशालय द्वारा आदेश निर्गत नहीं किया जा सका। शेष 506 पदाधिकारियों/कर्मियों के प्रोन्नति के विषय में उनके पांच वर्षों के चारित्री अभियुक्ति एवं सेवापुस्त व सेवा इतिहास आदि के संबंध में उनके सम्बन्धित नियंत्री पदाधिकारी से कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा अपने पत्रांक–500, दिनांक–26.08.2019 के द्वारा मांग की गयी है। परिवादी अरूण कुमार ने आयोग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि कृषि निदेशक, बिहार, पटना के उपरोक्त पत्र में सम्बन्धितनियंत्री पदाधिकारी को माँगे गये पदाधिकारियों एवं कर्मियों के पांच वर्ष के चारित्री अभियुक्ति एवं सेवापुस्त आदि को भेजे जाने की समय–सीमा का उल्लेख उक्त पत्र में नहीं किया गया है जिससे उक्त मामला बहुत दिनों तक लंति हर जायेगा।

विगत कई तिथियों से प्रस्तुत मामला आयोग के समक्ष विचाराधीन है। आयोग द्वारा कई बार कृषि निदेशक, बिहार, पटना के आयोग के समक्ष उपस्थित प्रतिनिधि से सुयोग्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों को नियमानुसार ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0/कालबद्ध प्रोन्नति के विषय पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता रहा है तथा उन्हें उक्त के संबंध में उनके उपस्थिति में आयोग द्वारा प्रतिवेदन की मांग की जाती रही है, लेकिन बड़े

दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा इस विषय में आयोग के निर्देश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और न ही वांछित प्रतिवेदन ही आयोग को समर्पित किया जा रहा है। यहां यह उल्लेख कराना प्रासंगिक है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आयोग को प्रतिवेदन नहीं दिये जाने पर संबंधित कर्मियों के विरूद्ध आपराधिक मामला तक संस्थित किये जाने का प्रावधान है। कृषि निदेशक, बिहार, पटना को यह निर्देश दिया जाता है कि वे स्वयं आयोग के समक्ष प्रसंगाधीन विषय पर अंतिम निर्णय लेते हुए आयोग को उसके फलाफल के सम्बन्ध में सूचित करें।

आज परिवादी तथा कृषि निदेशक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया। अतः अगली निश्चित तिथि की सूचना के संबंध में उन्हें सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

वैसे आज पारित आदेश के सम्बन्ध में कृषि निदेशक, बिहार, पटना को सूचित कर दिया जाय।

परिवादी उक्त तिथि को आयोग के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

संचिका सुनवाई हेतु दिनांक–28.11.2019 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक